Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34–2022/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2022
(फाल्गुन 6, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 3/ह०अ० 30/1970/धा० 22/2022, दिनांक 25 फरवरी, 2022– हरियाणा पशु मेला (संशोधन) नियम, 2022.	5—6
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 25 फरवरी, 2022– हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) (संशोधन) नियम, 2022.	7—12
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 25 फरवरी, 2022– हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	13—18
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 फरवरी, 2022

संख्या का०आ० 3/ह०अ० 30/1970/धा० 22/2022.— हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 (1970 का 30), की धारा 22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशु मेला नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा पशु मेला (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पशु मेला नियम, 1970 में, नियम 3 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(3) पशु मेला में पशु विक्रय अथवा क्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विक्रय संव्यहार के संबंध में प्रमाण–पत्र लेखक को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा, जो क्रेता तथा विक्रेता द्वारा क्रमशः पचहत्तर प्रतिशत तथा पच्चीस प्रतिशत के अनुपात में आयु में 24 मास से बड़े पशुओं अर्थात् गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा तथा खच्चर के लिए विक्रय मूल्य के तीन प्रतिशत की दर पर या एक हजार पांच सौ रूपए, जो भी कम हो, तथा छोटे पशुओं अर्थात् भेड़, बकरी तथा गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा तथा खच्चर के बच्चों, जो छह मास से कम और चौबीस मास की आयु से अधिक के न हों, के लिए विक्रय मूल्य के तीन प्रतिशत की दर पर या पांच सौ रूपए, जो भी कम हो, की फीस के भुगतान पर प्ररूप सी०एफ०आर०–1 में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा। उपरोक्त बड़े पशुओं के साथ विक्रय किए गए उनके बच्चे अथवा छोटे पशुओं, जिनकी आयु छह मास से कम हो, के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।"।

अमित झा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 25th February, 2022

No. S.O. 3/H.A.30/1970/S.22/2022.— In exercise of the powers conferred under section 22 of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970 (30 of 1970), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970, in rule 3, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) The persons selling or purchasing a cattle at a cattle fair shall furnish necessary particulars in respect of the sale transaction to the certificate writer, who shall issue a registration certificate in Form CFR 1, on payment of a fee at the rate of **three percent** of the sale price or **one thousand five hundred** rupees, whichever is **lower**, for big animals, namely, cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of above twenty four months and at the rate of **three percent** of the sale price or **five hundred rupees**, whichever is **lower**, for small animals, namely, sheep, goat and young-ones of cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of not less than six months and not more than twenty-four months by purchaser and seller in the ratio of seventy-five present and twenty-five present respectively. No fee shall be charged for the young-ones of animals of an age of less than six months sold with said big or small animal.".

AMIT JHA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

9493—L.R.—H.G.P., Pkl.